



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021-फाल्गुन-7, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश गुप्ता पुत्र श्री बिहारी लाल गुप्ता सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम राजू गुप्ता था. जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200659112 में लिखा गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण प्रपत्रों जैसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम राजेश गुप्ता पुत्र श्री बिहारी लाल गुप्ता अंकित है. वर्तमान में मैं, राजेश गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं हस्ताक्षर करता हूँ. और भविष्य में भी मैं, इसी नाम राजेश गुप्ता के नाम से हस्ताक्षर करता रहूँगा. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200659112 में मेरा नाम राजू गुप्ता के स्थान पर सही नाम राजेश गुप्ता पुत्र श्री बिहारी लाल गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जाये.

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(राजू गुप्ता)

(693-बी.)

नया नाम :

(राजेश गुप्ता)

पुत्र-श्री बिहारी लाल गुप्ता,
पता- मैंन रोड चीनौर, लकी फोटो स्टूडियो,
चीनौर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कुन्ती देवी यादव, मुन्नी देवी, कुन्ती यादव, कुन्ती देवी एवं कामिनी यादव पुत्री स्व. श्री गोविन्द सिंह यादव, पत्नि श्री अमर सिंह यादव एक ही महिला अर्थात् मेरे ही नाम हैं, जो शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक दस्तावेजों एवं पहचान-पत्रों में भिन्न-भिन्न रूप में दर्ज हैं, मेरे उपरोक्त सभी नामों के स्थान पर सुधार करते हुये मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर दर्ज कुन्ती देवी यादव (KUNTI DEVI YADAV) पत्नि श्री अमर सिंह यादव को ही पढ़ा-लिखा, जाना, पहचाना व समझा जावे.

पुराना नाम :

(कुन्ती देवी यादव, मुन्नी देवी, कुन्ती यादव,
कुन्ती देवी एवं कामिनी यादव)

(704-बी.)

नया नाम :

(कुन्ती देवी यादव)

पता-75, आस्था विहार फेस-II खजूरी कलां, अवधपुरी,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल. (म.प्र.) पिन 462022.

नाम परिवर्तन

मैं, ज्योति संतवानी पत्नी श्री प्रेम कुमार संतवानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा शादी से पूर्व का नाम लता पुत्री श्री बच्चा मल था. जो मेरे पति की बीमा पॉलिसी क्र. 201207788 के नॉमिनेशन में लता संतवानी लिखा गया है. जो कि गलत है जबकि मेरा विवाह प्रेम कुमार संतवानी के साथ सिंधी रीति-रिवाज से हो जाने से वर्तमान में मुझे ज्योति संतवानी पत्नी श्री प्रेम कुमार संतवानी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण प्रपत्रों जैसे आधार कार्ड और पेन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम ज्योति संतवानी अंकित है एवं भविष्य में मैं, ज्योति संतवानी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरे पति की बीमा पॉलिसी क्र. 201207788 के नॉमिनेशन में मेरा नाम लता संतवानी के स्थान पर ज्योति संतवानी पत्नी श्री प्रेम कुमार संतवानी लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(लता)

पुत्री-श्री बच्चा मल.

(707-बी.)

नया नाम :

(ज्योति संतवानी)

पत्नी-श्री प्रेम कुमार संतवानी,
पता-अर्जुन सीतलानी के पास डीमर मोहल्ला,
वार्ड नं. 20 डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री उदयभान सिंह भदौरिया सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम लक्ष्मी देवी भदौरिया था जो मेरी अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, मुन्नी देवी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण प्रपत्रों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम मुन्नी देवी लिखा गया है एवं भविष्य में भी मुन्नी देवी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. लक्ष्मी देवी भदौरिया एवं मुन्नी देवी मेरे ही नाम हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(लक्ष्मी देवी भदौरिया)

(708-बी.)

नया नाम :

(मुन्नी देवी)

पत्नी-स्व. श्री उदयभान सिंह भदौरिया,
पता-शिवाजी नगर आमखो, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हरीश चन्द्र माहौर पुत्र स्व. श्री गोविंद प्रसाद माहौर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम हरीश चन्द्र माहौर है. मेरी बीमा पॉलिसीओं एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हरी चन्द्र माहौर लिखा गया है. जो कि गलत है जबकि मुझे वर्तमान में हरीश चन्द्र माहौर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं बैंक खाते में हरीश चन्द्र माहौर लिखा गया है और वर्तमान में हरीश चन्द्र माहौर पुत्र स्व. श्री गोविंद प्रसाद माहौर के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और हरीश चन्द्र माहौर के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हरि चन्द्र माहौर के स्थान पर हरीश चन्द्र माहौर पुत्र स्व. श्री गोविंद प्रसाद माहौर लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(हरि चन्द्र माहौर)

(710-बी.)

नया नाम :

(हरीश चन्द्र माहौर)

पुत्र-स्व. श्री गोविंद प्रसाद माहौर,
पता-मुंशियों का मौहल्ला लक्कड़खाना,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Dipika Mahawar W/o Mr. Deepak Mahawar presently residing at Bungalow No.5, Narmada Road, Katanga Crossingh, Jabalpur (MP) 482002 have changed my mine name from Dipika Mahawar to Anju Mahawar (name as per my Aadhar Card).

Old Name :

(DIPIKA MAHAWAR)

(711-B.)

New Name :

(ANJU MAHAWAR)

उप-नाम परिवर्तन

मेरी (अभय त्यागी) पुत्री (नाबालिग) शताक्षी का उप-नाम राजपूत था. अब उप-नाम बदलकर शताक्षी त्यागी पुत्री अभय त्यागी, मकान नम्बर-18, शिवा रॉयल पार्क, फेस-1, आकृति ग्रीन के पास सलेया, भोपाल हो गया है. अब भविष्य में मेरी पुत्री को शताक्षी त्यागी के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

(712-बी.)

अभय त्यागी,

मकान नम्बर-18, शिवा रॉयल पार्क,
फेस-1, आकृति ग्रीन के पास सलेया,
भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सूचित हो, मेरा वास्तविक व सही नाम गजानंद पाटीदार (Gajanand Patidar) पिता हरी पाटीदार है व मेरा घरेलू नाम गजेद्रा पाटीदार (Gagedra Patidar) पिता हरी पाटीदार है. इस प्रकार उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम है. अब मैं, भविष्य में अपने वास्तविक व सही नाम “गजानंद पाटीदार (Gajanand Patidar) पिता हरी पाटीदार” से जाना-पहचाना व संबोधित किया जाऊंगा.

पुराना नाम :

(गजेद्रा पाटीदार)

(715-बी.)

नया नाम :

(गजानंद पाटीदार)
(GAJANAND PATIDAR)
पिता-हरी पाटीदार,
पता-10, गांधी मार्ग, अंजड़,
बड़वानी (म.प्र.) 451556.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेन्द्र कुमार डोंगरे पिता स्व. श्री सुदरलाल डोंगरे, निवासी वार्ड नं. 19, नारायण नगर, होशंगाबाद का हूँ, मैं, अपनी अविवाहित एवं मानसिक रूप से विकलांग बहन जिनका नाम आधार कार्ड में इंदिरा बाई डोंगरे एवं रेलवे पासकार्ड में कृ. इंदु अंकित है एवं राशन कार्ड में इन्दा बाई अंकित है. यह तीनों नाम मेरी अविवाहित, मानसिक विकलांग बहन के ही हैं.

(717-बी.)

नरेन्द्र कुमार डोंगरे,
पिता-स्व. श्री सुदरलाल डोंगरे,
निवासी-वार्ड नं. 19, नारायण नगर,
होशंगाबाद (म.प्र.).

CHANGE OF SURNAME

I, Kamlesh Bohra S/o Sujanmal, Aged 50 yrs, residing at 83/1, Pooja ke Phool, Vishv Vidhyalay Marg, Teen Batti Chouraha, Free Ganj, Ujjain-456010 state that my recorded name in School/College is Kamlesh Jain (Old name) but I myself known as Kamlesh Bohra (New Name) and all my identification documents are in my new name, henceforth I shall be known as Kamlesh Bohra (New Name) for all purposes, Further I state that Kamlesh Jain and the Kamlesh Bohra is the name of one and the same person and that is myself.

Old Name :

(KAMLESH JAIN)

(716-B.)

New Name :

(KAMLESH BOHRA)

83/1, Pooja ke Phool,
Teen Batti Chouraha, Ujjain-456010.

PUBLIC NOTICE

I, Smruti Shrivastava daughter of Mr. Omprakash Shrivastava, Age 22 Years, Resident of House No.30, Parika Society Phase 1, Chuna Bhatti, Bhopal, used to spell my name in English as Smruti Shrivastava. My Aadhaar Card, Pan Card, Voter Id, Passport and all the academic documents till now have my name Spelled

as Smruti in English. Now I want to change the spelling of my name in English to SMRITI Voluntarily. Thus my full name in English will now be spelled as SMRITI SHRIVASTAVA. My name in Hindi will remain the same as स्मृति श्रीवास्तव.

Accordingly, I am getting this public notice published for the information of the general public.

Old Name :

New Name :

(SMRUTI SHRIVASTAVA)

(SMRITI SHRIVASTAVA)

(689-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इलेक्ट्रिक एम्पोरियम में निम्न भागीदार थे. (1) श्री विनोद कुमार जैन पिता स्व. श्री जोरावरमल जैन, (2) श्रीमती किरण जैन पति श्री विनोद कुमार जैन, (3) विक्रांत जैन पिता श्री विनोद कुमार जैन इस तरह उक्त फर्म में 1 अप्रैल, 2014 से उक्त तीन भागीदार थे. उक्त में से भागीदार क्रमांक (2) श्रीमती किरण जैन का स्वर्गवास 22 फरवरी, 2020 को हो गया था. इस कारण वे फर्म से पृथक् हो गई है.

राकेश गुप्ता,

(एडवोकेट)

106, श्रीनाथ की तलैया, गंजीपुरा,

जबलपुर (म.प्र.).

(709-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म कपिलादेवी इंटरप्राइजेस जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00194/07, सन् 2006-07 है. जो प्रथम मंजिल, विश्व भ्रमण परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) में स्थित है. फर्म की स्थापना दिनांक 10-03-2001 को चार पार्टनर (1) मदनलाल कपूर पिता मुलखराम कपूर, (2) मनीष कपूर पिता हरीश कपूर, (3) साधना कपूर पति हरीश कपूर, (4) अनीता कपूर पति मनोज कपूर ने किया था. दिनांक 01-04-2011 को तीन पार्टनर (1) मदनलाल कपूर, (2) मनीष कपूर, (3) साधना कपूर स्वेच्छा व सभी पार्टनर की राजी-मर्जी से भागीदारी समाप्त कर एक नए पार्टनर (1) मनोज कपूर को फर्म में सम्मिलित कर अनुबंध निष्पादित किया परन्तु दिनांक 30-07-2018 को मनोज कपूर जी का निधन हो गया जिसके परिणामस्वरूप फर्म को संचालित करने हेतु श्रीमती अनीता कपूर ने अपने 19 वर्षीय दोनों पुत्र (1) अर्पित कपूर, (2) चर्चित कपूर पिता स्व. मनोज कपूर को जोड़ने हेतु 20-08-2018 को अनुबंध एवं पंजीयन कराया. वर्तमान स्थिति में फर्म को तीन पार्टनर श्रीमती अनिता कपूर, अर्पित कपूर एवं चर्चित कपूर संचालित कर रहे हैं.

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-कपिलादेवी इंटरप्राइजेस,

अनिता कपूर,

(भागीदार)

पता-1-बी फ्लोर, विश्व भ्रमण परिसर,

प्रेस कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(713-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इन्दौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री राजेश पिता मांगीलाल मदनपुरीया अध्यक्ष, निवासी 28, बालदा कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा “श्री संत गाडगे बाबा परमार्थिक न्यास” कार्यालय पता-8, जंगमपुरा, इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री संत गाडगे बाबा परमार्थिक न्यास”.
पता	:	कार्यालय पता-न्यास, 8, जंगमपुरा इन्दौर म.प्र.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति 12,100/- (अक्षरी रुपये बारह हजार एक सौ मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	चल-अचल सम्पत्ति नहीं है. मात्र रु. 12,100/- (अक्षरी रुपये बारह हजार एक सौ मात्र) के फंड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 21 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

राजेश राठौड़,
पंजीयक.

(96)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र.02/बी-113/2020-21.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा(2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी. टी. नगर, भोपाल जिले के समक्ष.

चूँकि श्रीमती साधना सिंह चौहान पत्नि श्री शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी, निवासी-बी-8, चौहत्तर बंगला, तहसील हुजूर, जिला भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04 मार्च, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट टी. टी. नगर, भोपाल का अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा सेवा समिति (ट्रस्ट) भोपाल लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 मार्च, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है. और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा सेवा समिति (ट्रस्ट) भोपाल.
(पत्र व्यवहार का पता-बी-8, चौहत्तर बंगला, भोपाल म.प्र.).
2. अचल सम्पत्ति : निल.
3. चल सम्पत्ति : निल.

आज दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

संजय कुमार श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(112)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल (क्षेत्रीय), देवास**

देवास, दिनांक 23 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/91.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 5233, दिनांक 06 जून, 2008 से लोकवानिकी योजना अंतर्गत निजी भूमि पर विदोहित वृक्षों की काष्ठ के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था.

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया। वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है। अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है।

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।



(111)

देवास, दिनांक 23 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/92.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 8266, दिनांक 05 जुलाई, 2008 से लोकवानिकी योजना अंतर्गत श्री सुरेश पिता नंदकिशोर, निवासी ग्राम गोलागुठान की निजी भूमि पर विदोहित वृक्षों की काष्ठ के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था।

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया। वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है। अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है।

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।



(112)

देवास, दिनांक 23 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/93.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र देवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 10415, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 से वनमण्डल देवास के आदेश क्रमांक/सुरक्षा/राजस्व/8406, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 अनुसार आवेदक श्री मोरू पटेल पिता शेर मोहम्मद, निवासी गंधर्वपुरी की आम की काष्ठ को गंधर्वपुरी से इन्दौर परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था।

श्री सुनिल कुमार खरे तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास को बार-बार सूचना देने के उपरांत भी उक्त हेमर जमा नहीं करया गया है। वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है। अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है।

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।



(113)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/107.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 8266, दिनांक 05 जुलाई, 2008 से लोकवानिकी योजना अंतर्गत निजी भूमि पर विदोहित वृक्षों की काष्ठ के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था।

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया। वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है। अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है।

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।



(114)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/108.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 6542, दिनांक 17 जुलाई, 2007 से लोकवानिकी योजना अंतर्गत भूमि स्वामी श्री रामेश्वर पिता रामदीन, निवासी ग्राम बरछाखुर्द की निजी भूमि पर विदोहित वृक्षों की काष्ठ के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था।

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया। वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है। अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है।

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।



(115)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/109.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 5233, दिनांक 06 जून, 2008 से लोकवानिकी योजना अंतर्गत श्री राजेश पिता रामभरोस, निवासी ग्राम निमासा की निजी भूमि पर विदोहित वृक्षों की काष्ठ के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था।

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया। वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है। अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है।

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



(116)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/110.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 8380, दिनांक 01 सितम्बर, 2005 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कन्नौद के प्रकरण क्र/1422-25, दिनांक 08 जून, 2007 अनुसार आवेदक श्री हीरालाल पिता सुखानंद, निवासी चिचली की निजी भूमि पर विदोहित वृक्षों की काष्ठ के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था.

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनील कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है. अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



(117)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/111.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 4190, दिनांक 27 मई, 2005 से इंदिरा सागर डूब क्षेत्र में आने वाले 16 ग्रामों की शासकीय राजस्व भूमि पर की विदोहित काष्ठ के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था.

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनील कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है. अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



(118)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/112.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 5233, दिनांक 06 जून, 2008 से लोकवानिकी योजना अंतर्गत निजी भूमि पर विदोहित वृक्षों की कष्ट के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था.

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है. अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



(119)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/113.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 8380, दिनांक 01 सितम्बर, 2005 से ईंदिरा सागर डूब क्षेत्र राजस्व ग्राम फतेहगढ़, रोहन्या कनेरखेड़ा के विस्थापितों की पुरानी लकड़ी के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था.

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है. अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हेमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



(120)

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2021

आ.क्र./DM/2021/114.—वनमण्डल (क्षेत्रीय) देवास के परिक्षेत्र सतवास के तत्कालीन पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुनील खरे को पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर कार्यालयीन चालान क्र. 8380, दिनांक 01 सितम्बर, 2005 से ईंदिरा सागर डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि के वृक्षों की काष्ठ के परिवहन हेतु प्रदाय किया गया था.

कार्य उपरांत भी संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त हेमर जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र. 4304, दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 4307 दिनांक 11 अप्रैल, 2012, 5995, दिनांक 12 जुलाई, 2013, 7390, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, 1489, दिनांक 27 फरवरी, 2020, 7189, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में लेख किये जाने के उपरांत भी हेमर जमा नहीं कराया गया. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना के पत्र क्र./स्थापना/8448, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को श्री सुनिल कुमार खरे, वनक्षेत्रपाल का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास हो जाने की सूचना दी गयी है. अतः उक्त हेमर जमा कराया जाना संभव नहीं है.

अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो उस हैमर को निकटतम थाने में या किसी वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हैमर रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा एवं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.



(121)

पी. एन. मिश्रा
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 11 फरवरी, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

श्री गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2021/407.—श्री गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., ग्वालियर जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर.जी.डब्ल्यू.आर./632, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है, की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी को सदस्यता सूची एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने से संस्था का निर्वाचन संपन्न नहीं हो सका.
2. संस्था पदाधिकारियों द्वारा संस्था के निर्वाचन में रूचि नहीं ली गई.
3. संस्था अकार्यशील है. विगत दो वर्षों से संस्था अंकेंक्षको के द्वारा अंकेंक्षण में डी-वर्ग में वर्गीकरण किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 10 मार्च, 2021 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा. कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 11 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(97)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/210.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 737, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नारायणखेडी जिसका पंजीयन क्रमांक 1921, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(91)

उज्जैन, दिनांक 02 फरवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/211.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 737, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, मुंजाखेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 1915, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(92)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर

सागर, दिनांक 08 फरवरी, 2021

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक.

दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या, सागर,
जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2021/193.—कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2019/986 सागर, दिनांक 29 जून, 2019 से आपकी संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर 03 माह के लिए संचालक मण्डल मनोनीत किया गया था एवं नवीन संचालक मण्डल के निर्वाचन 03 माह के अन्दर करवाये जाने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु संस्था द्वारा अभी तक निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। अतः दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या, सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 751, दिनांक 13 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुये सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. संस्था द्वारा पुनर्जीवित किये जाने की शर्तों का पालन नहीं किया गया है एवं निर्वाचन प्रस्ताव पुनर्जीवित होने से 03 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. संस्था अकार्यशील है।

अतः उपयुक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां सागर के प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है। कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 फरवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

परशुराम कावड़कर,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(98)

कार्यालय उप आयुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 19 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/33.—श्री गणेश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक/36, दिनांक 02 जुलाई, 2004 एवं सपपरिवर्तन उपरांत पंजीयन क्रमांक/1463, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 है को आदेश क्रमांक/परि./527, दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी.

संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अपने पुर्नजीवित प्रस्ताव दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 में संस्था के सदस्यों द्वारा आयोजित आमसभा का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है. जिसके द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने का कार्य योजना अनुमोदित कर संस्था को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है.

अतः सहकारिता के सिद्धांतों एवं सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुर्नजीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला मुरैना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1, सी दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश दिनांक को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अंतर्गत श्री गणेश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक DR/MNA/1463, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 है को पुर्नजीवित करती हूँ तथा संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कमेटी नामकित करती हूँ. कमेटी संस्था का निर्वाचन मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम-49 ई के तहत 03 माह के अंदर करावें.

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. श्री विवेक गुप्ता | अध्यक्ष |
| 2. श्री बाबूलाल कुशवाह | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री बच्चू लाल गुप्ता | उपाध्यक्ष |
| 4. श्रीमती सुनीता अग्रवाल | संचालक |
| 5. श्री संतोष वर्मा | संचालक |
| 6. श्री जुगल किशोर गुप्ता | संचालक |
| 7. श्री मुरारी लाल | संचालक |
| 8. श्री प्रताप मोहन शर्मा | संचालक |
| 9. श्री सचिन गुप्ता | संचालक |
| 10. श्री राजेश | संचालक |
| 11. श्री अनिल कुमार | संचालक |

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

(110)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021-फाल्गुन-7, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश
मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी, 2021

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा.
2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.
5. खड़ी फसल पर रोपा व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 जनवरी, 2021

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज						गेहूँ चना रई-सरसों मसूर अन्य			कम अधिक अधिक अधिक कम	10% 25%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	जतारा टीकमगढ़ बल्लदेवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ लिधौरा						गेहूँ जो चना मटर मसूर			अधिक अधिक अधिक अधिक कम	0.05 0.02 2% 2% 2%	सामान्य समान समान सामान्य सामान्य		5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त. 0
10.	निवाड़ी :	निवाड़ी पृथ्वीपुर ओरछा						रई-सरसों गेहूँ जौ चना			अधिक कम कम			5. . .	6.(अ). .	6.(ब). .	7. . .	8. . .	
11.	छतरपुर :	गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बिजावर बड़ा मलहण महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा			जुताई चालू बोनी चालू			गेहूँ चना रई-सरसों जौ						5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	

[illegible]

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
15.	सतना :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	समान	..	सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
		रघुराजनगर	..	..	..	..	..	चना	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मझगवां	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		रामपुर (ब.)	..	..	..	..	..	जो	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		नागौद	..	..	..	..	..	रई सरसों	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		उचेहरा	..	..	..	..	..	अलसी	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		अमरपाटन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मैहर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कोठर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बिरसिहपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16.	रीवा :		..	..	जुताई चालू	..	..	तुअर	..	..	कम	15%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		त्यौंथर	..	..	बोनी चालू	..	..	अलसी	..	..	कम	20%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सिरमौर	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मऊगंज	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	20%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		हनुमना	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	20%	समान	..	..	..	..	..	..
		हजूर	..	..	..	..	..	जो	..	..	कम	20%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		गुढ़	..	..	..	..	..	रई सरसों	..	..	अधिक	10%	समान	..	..	..	..	..	..
		मनगवां	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सेमरिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नईगढ़ी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रायपुर (कर्चु)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17.	शहडोल :		..	..	जुताई चालू	..	..	तुअर	..	..	अधिक	2%	सामान्य	..	5.पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोहागपुर	..	..	बोनी चालू	..	..	रई सरसों	..	..	अधिक	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		ब्यौहारी	..	..	..	..	..	मसूर	अलसी	मटर	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		जयसिंहनगर	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		बुढ़ार	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	5%	समान	..	..	..	..	..	..
		गोहपारू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जैतपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
25.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा		..	..	..	..	गेहूँ चना		कम अधिक	10% 30%	सामान्य समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
26.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर		..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर रई-सरसों		अधिक कम अधिक कम	15% 10% 5% 5%	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
27.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर- बडौदिया गुलाना		..	..	..	..	गेहूँ चना रई-सरसों मसूर तुअर अन्य		अधिक कम सामान्य सामान्य कम अधिक	15% 10% 10% 2%	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
28.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव		..	..	..	..	गेहूँ उड़द मूँग मसूर चना मटर रई-सरसों		कम कम कम अधिक कम अधिक कम	65% 50% 90% 2% 65% 70% 85%	सुधरी हुई	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
29.	झाबुआ :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. . .
		थांदला	..	..	..	..	..	चना	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मेघनगर	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पेटलावद	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		झाबुआ	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		राणापुर	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		रामा	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
30.	अलीराजपुर :		..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		जोवट	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		अलीराजपुर	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कट्टीवाड़ा	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सोंडवा	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		उदयगढ़	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चन्द्रशेखर	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		आ. नगर																	
31.	धार :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	कम	5%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बदनावर	..	..	..	..	..	कपास	..	..	अधिक	..	समान	..	..	..	..	..	..
		सरदारपुर	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	2%	अप्राप्त	..	..	..	..	..	..
		धार	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कुक्षी	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मनावर	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		धरमपुरी	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गंधवानी	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		डही	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पीथमपुर	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
32.	इन्दौर :		..	..	बोनी चालू	..	..	गेहूँ	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त	8. पर्याप्त
		देपालपुर	..	..	जुताई चालू	..	..	चना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सांवेर	..	..	..	..	..	मटर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		इन्दौर	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गौतमपुरा	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		महू (अम्बे)	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
33.	खरगौन :	बड़वाह महेश्वर सेगांव खरगौन गोगावां कसरावद भगवानपुरा भीकनगांव सनावद झिरन्या		जुताई चालू बोनी चालू				तुअर	कपास		कम		सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
34.	बड़वानी :	बड़वानी ठीकरी राजपुर सेंधवा पानसेमल पाटी अंजड बरला निवाली		जुताई चालू बोनी चालू				गेहूँ	चना		समान		समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
35.	खण्डवा :	खण्डवा पुनासा खालवा पंधाना हरसूद						तुअर गेहूँ	.. चना		अधिक अधिक	2% 2%	समान समान		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
36.	बुरहानपुर :	बुरहानपुर खकनार नेपानगर						गेहूँ चना			कम अधिक				5.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
37.	राजगढ़ :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	5%	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		राजगढ़	..	..	..	..	..	चना	..	..	कम	5%	..	..	..	..	..	..	..
		जीरापुर	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	अधिक	5%	..	..	..	..	..	..	..
		खिलचीपुर	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		ब्यावरा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		सारंगपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पचोर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नरसिंहगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
38.	बिदिशा :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	..	..	सुधरी हुई	15%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		लटेरी	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	..	..	सुधरी हुई	15%	..	..	..	..	..
		सिरोंज	..	..	..	..	..	चना	..	..	..	..	सुधरी हुई	20%	..	..	..	..	..
		कुरवाई	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बासोदा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नटेरन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		विदिशा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		गुलाबगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		शमसाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		त्यौंदा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पठारी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		ग्यारसपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
39.	भोपाल :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	कम	10%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		बैरसिया	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	15%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		कोलार	..	..	..	..	..	मटर	मसूर	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		हुजूर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बैरागढ़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
40.	सीहोर :		..	..	..	..	..	गन्ना	..	..	कम	50%	सुधरी हुई	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		सीहोर	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	कम	15%	सुधरी हुई	..	..	..	..	..	..
		आष्टा	..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	अधिक	2%	सुधरी हुई	..	..	..	..	..	..
		इछाबर	..	..	..	..	..	चना	..	..	अधिक	2%	सुधरी हुई	..	..	..	..	..	..
		नसरुल्लागंज	..	..	..	..	..	मसूर	..	..	कम	2%	सुधरी हुई	..	..	..	..	..	..
		रेहटी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		श्यामपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		जावर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बुधनी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
41.	रायसेन :	रायसेन गैरतगंज बेगमगंज गोहरगंज बरेली सिलवानी बाड़ी सुल्तानपुर उदयपुरा	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना मसूर मटर लाख अलसी रई-ससो	..	..	अधिक कम सामान्य सामान्य सामान्य कम कम	..	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7.पर्याप्त. ..	8. पर्याप्त. ..
42.	बैतूल :	बैतूल भैंसदेही घोड़ाडोंगरी शाहपुर चिचोली मुल्ताई आठनेर आमला प्र.पटनम	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना	..	..	सामान्य समान	..	..	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त, ..	6.(ब)अच्छी. ..	7.पर्याप्त. ..	8. पर्याप्त. ..
43.	होशंगाबाद :	होशंगाबाद सिवनी- मालवा बावई इटारसी सोहागपुर पिपरिया बनखेड़ी डोलरिया पचमढी	..	..	..	..	..	..	गन्ना गेहूँ चना मटर मसूर लाख	..	..	कम समान अधिक	30% .. 80%	समान समान समान	..	5. पर्याप्त	6.(अ)	6.(ब)अच्छी. ..	7. पर्याप्त. ..	8. पर्याप्त. ..
			..	..	..	..	..	..	मटर मसूर लाख	..	..	कम कम समान	50% 25% ..	सामान्य सामान्य सामान्य	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
44.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हंडिया टिमरनी						गेहूँ चना अन्य			कम अधिक समान		सामान्य सामान्य सामान्य		5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
45.	जबलपुर:	आधारताल कुण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा			जुताई चालू			गेहूँ मटर मसूर			कम अधिक कम	10% 20% 50%	सामान्य समान सामान्य		5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी,	7. . .	8. पर्याप्त.
46.	कटनी :	बहोरीबंद ढीमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयराषवगढ़ बरही						चना अलसी मसूर #REF! खई-सस्से तुअर	गेहूँ				सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य समान		5. पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
47.	नरसिंहपुर :	नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा			जुताई चालू बोनी चालू			गन्ना तुअर गेहूँ चना मसूर मटर			अधिक कम कम कम कम	5% 2% 40% 30% 10% 15%			5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी,	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
48.	मण्डला :	मण्डला नैनपुर बिछिया निवास नारायणगंज घुघरी	..	..	..	..	..	..	गन्ना चना लाख	तुअर मटर जौ	गेहूँ मसूर खई-सरसों	सामान्य सामान्य सामान्य	..	सामान्य सामान्य सामान्य	..	5.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
49.	डिण्डोरी:	डिण्डोरी शाहपुरा बजाग	..	..	..	..	..	..	तुअर गेहूँ मसूर	.. चना मटर	 अलसी	समान सामान्य सामान्य	..	सामान्य सामान्य सामान्य	..	5.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
50.	छिन्दवाड़ा :	छिन्दवाड़ा तामिया परासिया जुन्नारदेव सांसर बिछुआ अमरवाड़ा चौरई उमरेठ मोहखेड़ हरई चांद पांडुर्णा	..	..	..	..	..	..	गेहूँ चना मटर						..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.	8. पर्याप्त.
51.	सिवनी :	सिवनी बरघाट कुरई केवलारी लखनादोन छपारा धनोरा घंसोर	..	..	..	..	..	..	तुअर मूँग अलसी गन्ना	गेहूँ उड़द मटर लाख	चना खई-सरसों .. अधिक	कम कम कम			..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
52.	बालाघाट :		..	..	..	..	..	गेहूँ	..	..	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बालाघाट	..	..	..	..	..	चना	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
		लाँजी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		किरनापुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बैहर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		वारासिवनी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		कटंगी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		लालबर्ग	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		तिरोडी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		परसवाड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		बिरसा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		खैरलाँजी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(95)

बी. बी. अग्निहोत्री,
प्रभारी सहायक-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.